न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) धौलपुर

पीठासीन अधिकारी : डॉ साधना शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 10/2020

1. रघुवरदयाल पुत्र स्व0 पूरनसिंह। जातिगण जाटव निवासीगण ग्राम बसई सामन्ता
2. विजयपाल पुत्र स्व0 रमेश । तहसील व जिला धौलपुर
3. सुनील पत्रु स्व0 रमेश ।
4. अनिल पुत्र स्व0 रमेश ।
5. वीरवल पुत्र स्व0 रमेश जाति जाटव निवासी ग्राम बसई सामन्ता तहसील व जिला धौलपुर

" फौत दौराने विचारण प्रार्थना पत्र "

6. श्रीमती माया पुत्री स्व0 रमेश । जातिगण जाटव निवासीगण ग्राम बसई सामन्ता
7. मुस0 धनवन्ती पत्नी स्व0 फद्दी। तहसील व जिला धौलपुर
8. छत्तर सिंह पुत्र स्व0 सुम्मेरा ।
9. प्रेमसिंह पुत्र स्व0 सुम्मेरा ।
10. श्रीमती गोटन पत्नी स्व0 महेश।
11. सोनू पुत्र स्व0 महेश ।

.....सायलान

बनाम

1. सूरज पुत्र स्व0 रामप्रकाश । समस्त जातिगण जाटव समस्त निवासीगण
2. श्रीमती गुड्डी पत्नी स्व0 रामप्रकाश। ग्राम बसई सामन्ता तहसील व जिला धौलपुर
3. पूजा पुत्री स्व0 रामप्रकाश ।
4. गोरेश पुत्री स्व0 रामप्रकाश ।
5. नीरज पुत्र स्व0 बतासी ।
6. श्रीमती दुर्गिया पुत्र स्व0 बतासी पत्नी रघुवीर । जातिगण जाटव निवासी ग्राम
7. श्रीमती रामबेटी पुत्री स्व0 बतासी पत्नी शिवसिंह। नादौली तहसील राजाखेड़ा धौ0
8. श्रीमती किरनदेई पुत्री स्व0 बतासी पत्नी भगवानदास। जातिगण जाटव निवासी
9. श्रीमती शकुन्तला पुत्री स्व0 बतासी पत्नी मेघाराम । ग्राम बरेहमोरी तह0 व जिला धौलपुर
10. श्रीमती सामन्ती पुत्र स्व0 दौजी पत्नी रामभरोसी जाति जाटव हाल निवासी ग्राम नाइले की बसई तहसील खेरागढ़ जिला आगरा उ0प्र0
11. शिवराम पुत्र स्व0 प्रभु ।
12. श्रीमती रामरती पत्नी छततरसिंह।
13. श्रीमती चन्दीदेवी उर्फ चन्द्रवती पुत्री स्व0 रामसिंह जाति जाटव निवासी ग्राम बसईसामन्ता तहसील व जिला धौलपुर
14. रामदास पुत्र मवासीराम जाति जाटव निवासी ग्राम बसईसामन्ता तहसील व जिला धौलपुर
15. सन्तराम पुत्र जयराम जाति जाटव निवासी ग्राम नगला खुर्द तहसील गढशंकर जिला होशियारपुर
16. पंजाब नेशनल बैंक शाखा धूलकोट धौलपुर तामील जरिये शाखा प्रबंधक
17. राजस्थान अनुसूचित जाति जानजाति वित्त विकास सहकारी निगम लिमिटेड प्रकोष्ठ धौलपुर तामील जरिये प्रबंधक

सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर (राज0)

उपखण्डाधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

18. राजस्थान राज्य तामील जरिये तहसीलदार सैपऊ वहैसियत भूमि धारक .....गैरसायलान

प्रा0पत्र 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थितिः–1–श्री योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट ,सायलान
2–श्री श्रीकांत श्रीवास्तव एडवोकेट गैरसायलान

निर्णय

दिनांक 18.08.2025

सायलान ने यह प्रार्थना पत्र इन तथ्यों के साथ पेश किया कि सायलान के पूर्वज स्व0 श्री गेंदा गत खसरा नम्बरान 20/1 रकवा 17 विस्वा, गत खसरा नम्बर 20/2 रकवा 16 विस्वा, गत खसरा नम्बर 24/1 रकवा 1 बीघा 9 विस्वा, गत खसरा नम्बर 24/2 रकवा 1 बीघा 9 विस्वा, गत खसरा नम्बर 28 रकवा 1 बीघा 4 विस्वा, गत खसरा नम्बर 67 रकवा 1 बीघा 2 विस्वा, एवं गत खसरा नम्बर 31/1 रकवा 14 विस्वा, गत खसरा नम्बर 31/2 रकवा 14 विस्वा, गत खसरा नम्बर 38/1 रकवा 1 बीघा 1 विस्वा, खसरा नम्बर 38/2 रकवा 1 बीघा, गत खसरा 43/1 रकवा 18 विस्वा, 43/2 रकवा 17 विस्वा, गत खसरा नम्बर 44 रकवा 1 बीघा 10 विस्वा, व गत खसरा नम्बर 66/2 रकवा 2 विस्वा, बाकै ग्राम बसई सामन्ता तहसील धौलपुर जिला भरतपुर के सम्वत् 2011 से 2014 एवं सम्वत् 2015 से 2018 तक राजस्व रिकार्ड में व हिस्सा 1/2 भाग के बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है और इसी अनुसार मौके पर सायलान के पूर्व स्व0 श्री गेंदा गैरसायलान के पूर्वज स्व0 श्री तुरसी पिसरान चोंधू के साथ मौके पर वहिस्सा बराबर– बराबर काबिज होकर बिना किसी बिघ्न बाधा के अपने जीवन पर्यनत काश्त करते रहे है।

सायलान के पूर्वज स्व0 श्री गेंदा व गैरसायलान संख्या 1 लगायत 14 के पूर्वज स्व0 श्री तुरसी के संयुक्त स्वामित्व व अधिपत्य की आराजी के गत खसरा नम्बर एवं हाल खसरा नम्बरान निम्नलिखित है गत खसरा नम्बर 20 मिन रकवा 17 विस्वा, जिसका हाल खसरा नम्बरान 73 रकवा 14 विस्वा, गत खसरा नम्बर 20 मिन रकवा 16 विस्वा जिसका हाल नम्बर 74 रकवा 13 विस्वा, खसरा नम्बर 66 रकवा 14 विस्वा जिसका हाल खसरा नम्बर 77 रकवा 12 विस्वा, गत खसरा नम्बर 24 मिन रकवा 1 बीघा 9 विस्वा जिसका हाल खसरा नम्बर 88 रकवा 1 बीघा 4 विस्वा, गत खसरा नम्बर 24 मिन रकवा 1 बीघा 9 विस्वा जिसका हाल खसरा नम्बर 89 रकवा 1 बीघा 4 विस्वा व गत खसरा नम्बर 44 रकवा 10 बीघा 10 विस्वा व 46 मिन रकवा 2 विस्वा जिसका हाल खसरा नम्बर 94 रकवा 1 बीघा 6 विस्वा, गत खसरा नम्बर 31 मिन रकवा 13 विस्वा जिसका हाल खसरा नम्बर 99 रकवा 11 विस्वा, खसरा नम्बर 31 मिन रकबा 15 विस्वा जिसका हाल खसरा नम्बर 100 रकवा 12 विस्वा, गत खसरा नम्बर 43 मिन रकवा 16 विस्वा जिसका हाल खसरा नम्बर 108 रकवा 13 विस्वा, गत खसरा नम्बर 43 मिन रकवा 19 विस्वा जिसका हाल

सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर (राज0)

उपखण्डाधिकारी
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

खसरा नम्बर 109 रकवा 16 विस्वा, गत खसरा नम्बर 38 मिन रकवा 1 बीघा व गत खसरा नम्बर 53 मिन रकवा 2 विस्वा जिसका हाल खसरा नम्बर 117 रकवा 18 विस्वा, गत खसरा नम्बर 67 रकवा 1 बीघा 2 विस्वा जिसका हाल खसरा नम्बर 136 रकवा 18 विस्वा बाकै ग्राम बसई सामन्ता तहसील धौलपुर जिला भरतपुर के वहिस्सा 1/2–1/2 भाग के बतौर खातेदार काश्तकार रहे थे जो कि अपने जीवन काल तक उक्त आराजी पर संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते रहें है। सायलान के पूर्वज स्व0 श्री गेंदा व गैरसायलान के पूर्वज स्व0 श्री तुरसी पिसरान चोंधू जो कि उपरोक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 20/1, 20/2, 24/1, 24/2, 28, 67 पर बंदोवस्ती खातेदार काश्तकार थे, और आराजी खसरा नम्बर 31/1, 31/2, 38/1, 38/2, 43/1, 43/2, 44, 66/2 नौतोड़ खातेदार काश्तकार थे। सायलान वर्तमान आराजी खसरा नम्बर 73, 74, 77, 88, 89, 94, 99, 100, 108, 109, 116, 117, 136 में संयुक्त रूप से वहिस्सा 1/2 भाग पर ही अपना क्लेम करते है जो कि विवादित है, स्व0 श्री गेंदा का निधन वन्दोवस्त काल में हो गया था और उनके निधन क बाद उक्त विवादित आराजी मं उनका निहित हिस्सा 1/2 भाग पर विरासतन उनके पुत्रगण सर्व श्री दाताराम, लज्जाराम, फद्दी एवं सुम्मेरा पुत्रगण स्व0 श्री गेंदा को वहिस्सा 1/8–1/8 भाग बराबर प्राप्त हुआ और दाताराम के निधन के बाद उसके विधिक वारिसान बहिस्सा 1/8 भाग पर विरासतन प्राप्त किया है और लज्जाराम के निधन के बाद उनका समस्त तर्का वहिस्सा 1/8 भाग विरासतन उनके पुत्र पूरनसिंह को प्राप्त हुआ है और पूरनसिंह के निधन के बाद उनका समस्त तर्का वहिस्सा 1/8 भाग विरासतन उनके पुत्र सायल संख्या 1 को प्राप्त हुआ फद्दी के निधन के बाद उनका समस्त तर्का वहिस्सा 1/8 भाग विरासतन उनके पुत्री धनवत्नी सायला संख्या 7 को प्राप्त हुआ और सुम्मेरा के निधन के बाद उनका समस्त तर्का वहिस्सा 1/8 भाग विरासतन उनके पुत्रगण छत्तरसिंह, प्रेमसिंह सायल संख्या 8 व 9 एवं स्व0 श्री महेश को प्राप्त हुआ है और महेश के निधन के बाद उनका समस्त तर्का वहिस्सा 1/24 भाग विरासतन उनके पुत्र सौनू व पत्नी गोटन सायल संख्या 10 व 11 को प्राप्त हुआ है और सायलान उक्त विवादित आराजी पर अपने अपने हिस्से अनुसार बिना किसी विघ्न बाधा के काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं।

इसी प्रकार स्व0 श्री तुरसी के निधन के बाद उनका हिस्सा उनके पुत्रगण देवलाल, दौजी, कंगलिया, व चिरौंजी को हिस्सा 1/8–1/8 बराबर बराबर प्राप्त हुआ है जिस पर वे अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर जीवनकाल तक काबिज होकर काश्त कर रहे है और देवलाल, दौजी, कंगलिया, व चिरोंजी के निधन के बाद विरासतन उनके वहिस्सा 1/8–1/8 भाग बराबर बराबर पर गैरसायलान संख्या 1 लगायत 14 अपने अपने हिस्से अनुसार बिना किसी विघ्न बाधा के काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। और गैरसायलान ने सायलान से यह भी इजहार किया उन्होंने उक्त गलत इन्द्राजों के आधार पर गलत रूप से गैरसायल संख्या 14 व 15 को विकृय कर दिया है, जिससे सायलान के हक व अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। जब सायलान विवादित आराजीयात जोतने गये तब गैरसायलान संख्या 1 लगायत 14 मौके पर एक राय होकर आये और सायलान को ऐलानिया धमकी दी कि अब वे सायलान को उक्त विवादित

सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर (राज.)

उपखण्डाधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज.)

आराजीयात में सायलान के संयुक्त रूप से निहित 1/2 भाग पर काश्त नहीं करने देंगे एवं नाही उसे फसल बोने देंगे बल्कि वे तो सायलान को विवादित आराजी में संयुक्त रूप से निहित वहिस्सा 1/2 भाग से जबरन बलपूर्वक बेदखल कर देंगे। और आज के बाद सायलान को उक्त आराजी पर काश्त नहीं करने देंगे। उक्त विवादित आराजी को अन्य किसी दीगर व्यक्ति के पक्ष में रहन, वय मुंतकिल कर देंगे। गैरसायलान ने यह इजहार किया कि उन्होने व उनके पूर्व स्व0 सर्व श्री देवलाल, दौजी, कंगलिया, व चिरौंजी ने आपस में एवं तत्कालीन राजस्व कर्मचारियो से साठ–गांठ करके बिना किसकी हक व अधिकार के राजस्व जमाबंदी में सम्वत् 2011 से 2018 में सायलान व उनके पूर्वज स्व0 श्री दाताराम, लज्जाराम, फद्दी एंव सुम्मेरा के हिस्सा 1/2 भाग पर वहिस्सा बराबर बराबर के अंकन करने के बजाय उनके पूर्वज स्व0 सर्व श्री देवलाल, दौजी, कंगलिया, व चिरौंजी ने अपना अपना नाम राजस्व रिकार्ड में सिकमी कास्तकार के रूप में दर्ज करा लिया था। और उक्त गलत इन्द्राजों के कारण उनका नाम भी साजिसन अंकित करा लिया था और उक्त गलत इन्द्राजों के कारण उनका नाम भी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इसलिए वे अब उक्त विवादित आराजी में सायलान को काश्त नहीं करने देंगे। सायलान ने राजस्व रिकार्ड की जानकारी की तो, तब सायलान को यह ज्ञात हुआ कि गैरसायलान के पूर्वज स्व0 श्री देवलाल, दौजी, कंगलिया व चिरौंजी ने राजस्व कर्मचारियों से साठ–गांठ करके राजस्व रिकार्ड में अपना अपना नाम सिकमी कास्तकार के रूप में दर्ज करा लिया था जिसके आधार पर वन्दोवस्त में गैरसायलान के पूर्वज बतासी पुत्र देवलाल व दौजी, कंगलिया पुत्रगण स्व0 श्री तुरसी एवं रामसिंह पुत्र चिरोंजी ने अपना अपना नाम राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से अंकित करा लिया है। जब सायलान ने गैरसायलान संख्या 1 लगायत 14 से यह निवेदन किया कि एक सगे भाई के शामलाती आराजी में उसके निहित हिस्सा पर उनके पूर्वज स्व0 श्री तुरसी को कैसे शिकमी काश्तकार हो सकता है और कैसे शिकमी के आधार पर खातेदारी के अधिकार प्राप्त हो सकते है। आराजी खसरा नम्बर 96 बाकै ग्राम बसईसामन्ता बन्दोवस्त विभाग को विवादित आराजी में सायलान के पूर्वज स्व0 श्री गेंदा के नाम को निरस्त करने का कोई हक व अधिकार है। गैरसायलान उक्त गलत इन्द्राजों के आधार पर सायलान को बेदखल करना चाहते है। इसलिए गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया है, कि वह विवादित आराजी पर सायलान को फसल करने से ना रोंके बेदखल ना करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया । गैरसायलान ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो को अस्वीकार करते हुये जबाव में कथन किया कि गैरसायलान को तगं व परेशान करने की नीयत से पेश किया है। बन्दोवस्त के समय गैरसायलान के पूर्व पुरूष उपरोक्त बताई गई आराजी विवादित काश्त पर कब्जा था। वह समस्त आराजीयात पर निर्विवाद रूप से काश्त करते रहे तथा कब्जे के आधार पर उक्त आराजीयात को जमीदारान ने शिकमी काश्त करने हेतु दे रखा था। तथा गैरसायलान के पूर्वज शिकमी काश्त की हैसियत से काबिज थे। सम्वत् 2015 से 2028 की जमाबंदी में सायलान के पूर्व पुरूष गेंदा ने कभी भी काश्त पर कब्जा नहीं रहा गेंदा को पुत्र होने के नाते सहवन से गेंदा का नाम

सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर (राज0)

उपखण्डाधिकारी
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

अंकित हो गया जबकि वास्तव में मौके पर गैरसायलान के पूर्व पुरूष तुरसी का कब्जा था। तथा इसी हैसियत से काश्त करते रहे। तथा उनकी मृत्यु के बाद गैरसायलान जो उनके विधिक वारिसान है की हैसियत से काश्त करते रहे। तथा उनकी मृत्यु के बाद गैरसायलान जो उनके विधिक वारिसान है की हैसियत से काबिज होकर निर्विवाद रूप से काश्त करते चले आ रहे है। सायलान का कभी भी उक्त आराजी पर कब्जा नहीं रहा है सायलान के पूर्वजों का उक्त आराजी पर कभी कब्जा नहीं रहा है। गैरसायलान का कब्जा के आधार पर बंदोवस्त व बन्दोवस्त के बाद मौके पर कब्जा के आधार पर गैरसायलान का नाम राजस्व अभिलेखों पर नाम अंकित हुआ है। तथा गैरसायलान का निर्विवाद रूप से काबिज व रिकार्ड कभी भी चुनौती नहीं दी गई है। साविक आराजी खसरा नम्बर 32 जिसका नया खसरा नम्बर 101 रकवा 1 बीघा 3 विस्वा व साविक खसरा नम्बर 42 जिसका नया खसरा नम्बर 107 रकवा 1 बीघा 1 विस्वा, व साविक खसरा नम्बर 199/2 जिसका नया खसरा नम्बर 326 रकवा 3 बीघा 2 विस्वा साविक नम्बर 199/26 जिसका नया खसरा नम्बर 345 व 346 रकवा 2 बीघा 5 विस्वा जिस पर गैरसायलान के पूर्व पुरूष तुरसी व सायलान के पूर्व पुरूष गेंदा का बराबर के शिकमी काश्तकार थे तथा उक्त आराजी के बराबर–बराबर के खातेदार काश्तकार थे। तथा इसी हैसियत से सायलान व गैरसायलान के पूर्व पुरूष काबिज होकर काश्त कर रहे थे। तथा उनकी मृत्यु के बाद सायलान व गैरसायलान जो उनके विधिक उत्ताधिकारी है उसी हैसियत से गैरसायलान व सायलान बराबर–बराबर हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। तथा सायलान के पूर्व पुरूष गेंदा ने राजस्व रिकार्ड के कर्मचारियों साथ साठ–गांठ कर गैरसायलान के पूर्व तुरसी का नाम राजस्व अभिलेखों में हटवा दिया था, जबकि गैरसायलान उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। तथा सायलान ने जो दावा पेश किया है उसमें दबाब बनाकर गैरसायलान से उक्त आराजीयात को हड़पना चाहते है। तथा गैरकानूनी तरीके से प्रतिवादीगण गैरसायलान के हिस्से को हड़पना चाहते है। गैरसायलान को आराजीयात से वेदखल करना चाहते हैं। इसलिए गैरसायलान का जबाब प्रार्थना पत्र स्वीकार सायलान का प्रार्थना पत्र 212 आरटीए खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी । प्रस्तुत वहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया । सायलान कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 73 रकवा 14 विस्वा, 74 रकवा 13 विस्वा, 77 रकवा 12 विस्वा, 88 रकवा 1 बीघा 4 विस्वा, 89 रकवा 1 बीघा 4, 94 रकवा 1 बीघा 6 विस्वा, 99 रकवा 11 विस्वा, 100 रकवा 12 विस्वा, 108 रकवा 13 विस्वा, 109 रकवा 16 विस्वा, 117 रकवा 18 विस्वा, 136 रकवा 18 विस्वा बाकै ग्राम बसई सामन्ता तहसील धौलपुर व जिला धौलपुर के गत खसरा नम्बरान पर सायलान के पूर्वज गेंदा तथा गैरसायलान के पूर्वज तुरसी वहिस्सा 1/2–1/2 भाग के बतौर खातेदार काश्तकार रहे थे जो कि अपने जीवन काल तक उक्त आराजी पर संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते रहें है। गेंदा की मृत्यु के पश्चात उनके वारिसान सायलान तथा तुरसी की मृत्यु के पश्चात उनके वारिसान गैरसायलान विवादित आराजी पर काश्त करते आ रहे है। गैरसायलान के पूर्वज स्व0 श्री देवलाल, दौजी, कंगलिया व चिरौंजी ने राजस्व कर्मचारियों से साठ–गांठ करके राजस्व

सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर (राज0)

उपखण्डाधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

रिकार्ड में अपना अपना नाम सिकमी कास्तकार के रूप में दर्ज करा लिया, जिसके आधार पर वन्दोवस्त में गैरसायलान के पूर्वज बतासी पुत्र देवलाल व दौजी, कंगलिया पुत्रगण स्व0 श्री तुरसी एवं रामसिंह पुत्र चिरोंजी ने अपना अपना नाम राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से अंकित करा लिया है। गैरसायलान उक्त गलत इन्द्राजों के आधार पर सायलान को बेदखल करना चाहते है। अपने कथनो के समर्थन में वकील सायलान ने DNJ 2025 (1) (Rev) Page no 51, RRT 2008 (1) Page no 154, DNJ 2010 (3) (RAJ) Page no 1073, RRT 2024 (1) Page no 625, RRT 2011 (2) Page no 761, 2024 RRD page no. 685 कानूनी नजीरें पेश की। इसलिए गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया है।

वकील गैरसायलान ने अपनी बहस में कथन किया कि सायलान ने तथ्यों को छुपाते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित आराजी पर सायलान के पूर्वज गेंदा एवं उसके पश्चात उसके वारिसान सायलान का कभी कब्जा नहीं रहा है। बंदोवस्त विभाग ने गैरसायलान के नाम का इन्द्राज करने में कोई गलती नहीं की है, गैरसायलान को तंग व परेशान करने की नीयत से पेश किया है। बन्दोवस्त के समय गैरसायलान के पूर्व पुरूष उपरोक्त बताई गई आराजी विवादित काश्त पर कब्जा था। वह समस्त आराजीयात पर निर्विवाद रूप से काश्त करते रहे तथा कब्जे के आधार पर उक्त आराजीयात को जमीदारान ने शिकमी काश्त करने हेतु दे रखा था। तथा गैरसायलान के पूर्वज शिकमी काश्त की हैसियत से काबिज थे। सम्वत् 2015 से 2028 की जमाबंदी में सायलान के पूर्व पुरूष गेंदा ने कभी भी काश्त पर कब्जा नहीं रहा, मौके पर गैरसायलान के पूर्व पुरूष तुरसी का कब्जा था। तथा इसी हैसियत से काश्त करते रहे। तथा उनकी मृत्यु के बाद गैरसायलान जो उनके विधिक वारिसान है की हैसियत से काश्त करते रहे। सायलान तथा उनके पूर्वजों का उक्त आराजी पर कभी कब्जा नहीं रहा है। गैरसायलान का कब्जा के आधार पर बंदोवस्त व बन्दोवस्त के बाद मौके पर कब्जा के आधार पर गैरसायलान का नाम राजस्व अभिलेखों पर नाम अंकित हुआ है। सायलान के पूर्वज गेंदा द्वारा विवादित आराजी के इन्द्राजों की पूर्ण जानकारी थी, और उसने कभी भी अपने जीवनकाल में इसे चैलेंज नहीं किया और ना ही कोई आपत्ति की। वास्तिविकता यह है कि सायलान के मन में वदनियती है, साविक आराजी खसरा नम्बर 32 जिसका नया खसरा नम्बर 101 रकवा 1 बीघा 3 विस्वा व साविक खसरा नम्बर 42 जिसका नया खसरा नम्बर 107 रकवा 1 बीघा 1 विस्वा, व साविक खसरा नम्बर 199/2 जिसका नया खसरा नम्बर 326 रकवा 3 बीघा 2 विस्वा साविक नम्बर 199/26 जिसका नया खसरा नम्बर 345 व 346 रकवा 2 बीघा 5 विस्वा जिस पर गैरसायलान के पूर्व पुरूष तुरसी व सायलान के पूर्व पुरूष गेंदा का बराबर के शिकमी काश्तकार थे तथा उक्त आराजी के बराबर–बराबर के खातेदार काश्तकार थे। तथा इसी हैसियत से सायलान व गैरसायलान के पूर्व पुरूष काबिज होकर काश्त कर रहे थे। तथा उनकी मृत्यु के बाद सायलान व गैरसायलान उसी हैसियत से बराबर–बराबर हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। लेकिन सायलान के पूर्व पुरूष गेंदा ने राजस्व रिकार्ड के कर्मचारियों साथ साठ–गांठ कर गैरसायलान के पूर्व तुरसी का नाम राजस्व अभिलेखों में हटवा दिया था, जबकि गैरसायलान उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। तथा सायलान ने जो दावा पेश किया है उसमें दबाब

सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर (राज0)

उपखण्डाधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

बनाकर गैरसायलान से उक्त आराजीयात को हड़पना चाहते है। गैरसायलान को आराजीयात से बेदखल करना चाहते हैं। अपने कथनों के समर्थन में वकील गैरसायलान ने आरआरटी 2008 (1) राज0 उच्च0 न्या0 पेज संख्या 154 कानूनी नजीरें पेश की। वकील गैरसायलान ने प्रार्थना पत्र 212 आरटीए खारिज किये जाने का निवेदन किया।

वकील उभयपक्ष की बहस का मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अध्ययन किया, विवादित आराजी पर नकल बंदोवस्ती से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में तुरसी एवं उसके वारिसान के नाम इन्द्राज हो रहे है। सायलान द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह सिद्ध होता हो कि विवादित आराजी पर सायलान का कब्जा रहा हो। गैरसायलान द्वारा कथित आराजी खसरा नम्बर 101 रकवा 1 बीघा 3 विस्वा, 107 रकवा 1 बीघा 1 विस्वा, 326 रकवा 3 बीघा 2 विस्वा, खसरा नम्बर 345 व 346 रकवा 2 बीघा 5 विस्वा के संबंध में सायलान द्वारा कोई भी कथन नहीं किया गया। विवादित आराजी पर सायलान के खातेदारी अधिकार का निर्णय मूलवाद में साक्ष्य के आधार पर गुणावगुण का निर्धारण करते हुए तय किया जावेगा। राजस्थान काश्तकार अधिनियम की धारा 212 आरटीए में अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष विवादित आराजी पर कब्जा होना आवश्यक है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड विवादित आराजी पर गैरसायलान के पूर्वज एवं उसके बाद गैरसायलान के नाम के इन्द्राज हो रहे है। सायलान अपने कथनों को सिद्ध करने में असफल रहे है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित समझते है।

आदेश

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किया जाता है तथा इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 04.04.2023 अपास्त की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर मूल वाद की पत्रावली के साथ सलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर (राज0)

(डॉ साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुo
धौलपुर

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)